तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज *स्पेशल अपील/एलआर/2002/6243/सिरोही* *छेलसिंह बनाम रामसिंह वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
11/02/26	**एकल–पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** ——— **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (ब्रीफ होल्डर) श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी। ——— **आदेश** 1– हस्तगत स्पेशल अपील अंतर्गत धारा 10 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् मण्डल की एकल पीठ द्वारा अपील संख्या 59/2001 में पारित निर्णय दिनांक 25–09–2002 के विरुद्ध मण्डल की खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहने हेतु प्रस्तुत की गई है। 2– गत पेशी पर अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–09–2002 न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान एकल पीठ द्वारा आदेश दिनांक 25–09–2002 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के दो आदेश क्रमशः 24–03–1998 व 30–03–2001 को अपास्त कर अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। प्रत्यर्थीगण ने अपील नियत समयावधि के मियाद बाहर पेश की थी। एकल पीठ को मियाद के आधार पर अपील खारिज करनी चाहिये थी। दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील और दूसरी निगरानी मीमों ऑफ अपील से प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश 24–03–1998 नजरसानी के आदेश दिनांक 30–03–2001 में मर्ज हो गया था। आवंटित भूमि का पथरीली होना या बंजर होना कृषि हेतु आवंटित भूमि में वर्जित नहीं है। एक बार आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग स्थगित हो जाती है तो उसके बाद दूसरी मीटिंग के लिये आवंटन किये जाने के लिये एडवाइजरी कमेटी का कोरम आवश्यक नहीं है। विद्वान एकल पीठ द्वारा आवंटन नियम के नियम 13 के परन्तुक को गलत समझते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार की है। जबकि उक्त कथनों का खण्डन करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सारहीन होना बताते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने यह विशेष अपील मण्डल की विद्वान एकल पीठ द्वारा अपील संख्या 59/2001 में पारित निर्णय दिनांक 25–09–2002 के विरूद्ध पेश कर विशेष अपील पेश करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02–11–02	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज *स्पेशल अपील/एलआर/2002/6243/सिरोही* *छेलसिंह बनाम रामसिंह वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	को पेश किया गया जिसे एडमिट करने से पूर्व तहसीलदार रेवदर से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1054/1319 व 1054/1320 कुल रकबा 1.02 बीघा पर रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह के बतौर खातेदार काबिज काश्त होने तथा रामसिंह द्वारा फसल की बुवाई किये जाने का अंकन है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख राजस्व जमाबंदी व खसरा गिरदावरी अनुसार अप्रार्थी रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह खातेदार काश्तकार दर्ज होकर काबिज काश्त है एवं उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा दिनांक 19–02–2013 को अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में नियमन किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा प्रार्थी छेलसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 को निर्णय दिनांक 14–11–2014 द्वारा खारिज किया गया। मण्डल की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–09–2002 के अनुसार प्रार्थी छेलसिंह को खसरा संख्या 1054 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 04–10–1994 को निरस्त किया जा चुका है तथा प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी रामसिंह की खातेदारी में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण वर्ष 2002 से ग्राह्यता के स्तर पर विचाराधीन है तथा विद्वान एकल पीठ के आदेश के विरूद्ध विशेष अपील दाखिल करने की अनुज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को यह बताना आवश्यक होगा कि मामलें में विधि का खास बिन्दु अथवा विधिक प्रश्न अन्तर्वलित है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई विधि का प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है जिस पर मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा सुनवाई करके विनिश्चयन किया जाना उचित प्रतीत होता हो। अतएव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य। 4– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीयता के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (केसर लाल मीणा) सदस्य	